



2026:AHC: 62226

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 530/2026

पवन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अनुरोध त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुरोध त्रिपाठी तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, आवेदक पवन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें थाना कर्मा, जिला सोनभद्र में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20 के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 107 सन 2025 में विचारण के लम्बित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे बाह्य एवं दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित होकर इस प्रकरण में मिथ्यारूप से फँसाया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा विवेचना के दौरान आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का नाम प्रकाश में आया और अभिकथन के अनुसार एक वाहन से 30 किलोग्राम गांजा बरामद होना बताया गया है और आवेदक को उक्त वाहन का चालक बताया गया है, जो इसके वास्तविक स्वामी से इसे किराए पर लेकर संचालित करता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक दिनांक 6 नवम्बर, 2025 से कारागार में है तथा वह यह वचन देता है कि यदि इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित विचारण न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए किसी भी निकट भविष्य में विचारण का शीघ्र समापन होने की कोई उचित सम्भावना नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया।

6. आवेदक के व्यक्तिगत कब्जे से कोई मादक द्रव्य या अपराधिक सामग्री बरामद नहीं हुई है; कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा आवेदक का नाम केवल विवेचना के क्रम में सामने आया; कि अभियोजन के अभिकथन के अनुसार एक वाहन से 30 किलोग्राम गांजा बरामद होना कथित है और आवेदक उक्त वाहन का चालक बताया गया है, जो वाहन स्वामी की ओर से भाड़े पर उक्त वाहन चला रहा था; तथा यह कि आवेदक दिनांक 20 जुलाई, 2025 से कारागार में है।

7. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभिकथित अपराध की प्रकृति, अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य का सम्यक् विचारण करने के उपरान्त तथा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 को दृष्टिगत रखते हुए, एवं वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, जमानत प्रदान किये जाने का मामला बनता है। तदनुसार, प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक **पवन** की उपरोक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर रुपये 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियों प्रत्येक प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए,:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी



के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो, अथवा किसी भी प्रकार से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षीगण पर किसी भी रूप में दबाव नहीं डालेगा, उन्हें भयभीत नहीं करेगा और न ही किसी अन्य प्रकार से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा : (क) वाद शुरू होने पर; (ख) आरोप विरचित होने पर; तथा (ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351 के अंतर्गत बयान अंकित किए जाने पर।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथियों पर, साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन के स्थिति में जमानत निरस्त किये जाने हेतु पर्याप्त आधार माना जाएगा।

10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के अनुक्रम में की गई कोई भी टिप्पणी केवल प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के निर्धारण के सीमित उद्देश्य तक ही सीमित है, और इसे किसी भी दशा में वाद के गुण-दोष पर इस न्यायालय की राय का अभिव्यक्तिकरण नहीं माना जाएगा। विद्वान विचारण न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

23 मार्च, 2026

कुमार मनीष